न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. – 38 / 2020 (2020 / 00102)

<u>प्रार्थी</u>

मोतीसिंह पुत्र स्व0 खंगारसिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थीगण</u>

1. श्रीमति गुड्डी कंवर पत्नी जबरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।
3. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।
5. उप पंजीयक शेरगढ़ तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2010 पट्टा संख्या 08 मिसल संख्या 189 ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया गया।

– – –

<u>उपस्थिति :–</u>

1. अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व पुष्पेन्द्र सिंह (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री के0 के0 गोयल (अप्रार्थी संख्या 01)।
3. अप्रार्थी संख्या 2 से 5 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–<u>आदेश</u> – दिनांक : **25.07.2022**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 आदेश दिनांक 28.12.2010 पट्टा संख्या 08 मिसल संख्या 189 ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पचांयत सोमेसर द्वारा प्रार्थी के पिता स्व0 खंगारसिंह की पुश्तैनी आबादी भूमि जिसे जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निजी सम्पति घोषित की गई, उसी भू[illegible]बादी का पट्टा तत्कालीन सरपंच

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

आवड़दान द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 गुड्डी कंवर के नाम दिनांक 28.12.2010 को जारी किया गया जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 गोयल ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सोमेसर से तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोमेसर ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.प.सों./2020/32 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा चाहा गया मूल अभिलेख पट्टा संख्या 8 दिनांक 28.12.2010 मिसल संख्या 189/2010 ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 12.07.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि सरपंच ग्राम पचांयत सोमेसर द्वारा प्रार्थी के पिता स्व0 खंगारसिंह की पुश्तैनी आबादी भूमि जिसे जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निजी सम्पति घोषित की गई, उसी भूमि का आबादी का पट्टा तत्कालीन सरपंच आवड़दान द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 गुड्डी कंवर के नाम दिनांक 28.12.2010 को जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा विलेख जारी किया गया जिसका मूल अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिसकी जांच विकास अधिकारी शेरगढ़ द्वारा की गई तथा तत्कालीन सरंपच द्वारा जारी किये गये पट्टे फर्जी पाये गये जिसमें निगरानीधीन पट्टा भी शामिल है। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन पट्टा निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि पूर्व सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बड़े भूभाग का पट्टा जारी किया गया जिसका ग्राम पंचायत को कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा पट्टे में जो पड़ौस वर्णित है वे सभी गलत बताए गए है। इतने बड़े भूखण्ड लगभग 2222 वर्गगज का पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी नहीं किया जा सकता है। सरपंच ने जानबूझकर गलत व फर्जी पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत कोई प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

गया ना ही आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण का नक्शा संलग्न किया गया ना ही सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर स्थल नक्शा तैयार किया गया ना ही निर्धारित प्ररूप में रजिस्टर तैयार किया गया ना ही समिति की बैठक में रखा गया ना ही समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एंव ना ही ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कोई पत्रावली संधारित की गयी। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिनुसार किसी प्रकार का नोटिस चस्पा नहीं किया गया ना ही आक्षेप आमंत्रित किये गये ना ही प्रकाशित किये गये ना ही नोटिस की प्रति उक्त जायदाद पर लगायी गयी इस कारण पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि सरपंच ने पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना पट्टा विलेख जारी किया है उक्त पट्टा पूर्ण रूप से छल, भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक तरीके से जारी किया गया है यही नहीं उक्त पट्टा प्राप्ति हेतु पालना किये जाने वाले नियमों के विरोधकारी है। साथ ही इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कितना पुराना तथा किस आधार पर संभाव्य था ? पुराने कब्जे को दर्शित करने के लिए कुछ भी साक्ष्य नहीं लिया गया ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई आवेदन कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पर बने हुए पुराने मकान उनके कब्जे का है। ना ही कब्जे की अवधि का खुलासा किया गया। सरपंच ने आपत्तियां आमंत्रित किये बिना एवं मौका निरीक्षण किये बिना पट्टा जारी किया जो विधिविरूद्ध है। सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायत नियम की पालना व कार्यवाही किये बिना जारी किया गया है। आम सूचना का नोटिस पंचायत कार्यालय पर चस्पा नहीं किया गया। पंचायत द्वारा आबादी भूमि का इंद्राज अचल सम्पत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया एवं मिसलें कायम कर मनमर्जी अनुसार पट्टे जारी किये गये जिस बाबत पूर्व में भी न्यायालय द्वारा कई पट्टों को खारिज किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर बतलाया कि प्रार्थी अप्राथी संख्या 1 को मालिकाना कब्जासुदा भूमि से वंचित करना चाहता है तथा प्रार्थी को निगरानी पेश करने का कोई लोकस स्टेंडाई यानी विधिक अधिकारिता नहीं है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि से प्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोमेसर ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.प.सों./2020/32 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा चाहा गया मूल अभिलेख पट्टा संख्या 8 दिनांक 28.12.2010 मिसल संख्या 189/2010 ग्राम के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

जबकि जिस अभिलेख के बारे में सूचना चाही गई है उस सम्बन्ध में दिनांक 13.06.2019 को पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर में सुखदेव मेघवाल पुत्र हीराराम मेघवाल उपसरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर ने मुकदमा पेश कर बतलाया कि सुबह ग्राम पंचायत आकर देखा तो कल दिनांक 12.06.2019 को रात्रि के समय अज्ञात लोगों द्वारा ग्राम पंचायत का ताला तोड़कर उसमें से सौर उर्जा की बैटरी, कूलर, दो कुर्सीया व अन्य कागजात जैसे एमबी यूसी सीसी आवश्यक कागजात चोरी कर लिए गए चुंकि सरपंच किसी काम से बाहर गए हुए थे इसलिए मुझे आकर थाने में रिपोर्ट देनी पड़ी नवीन ग्राम सेवक द्वारा जोइनिंग नहीं की गई थी। अतः ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो सूचना पेश की गई वह सद्भाविक नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ने जानबूझकर वास्तविक जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर कपोलकल्पित बिना किसी आधार के पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त पट्टा पुश्तैनी पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर विधिनुसार जारी किया गया है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपपंजीयक शेरगढ़ जिला जोधपुर में दिनांक 21.05.2020 को पंजीबद्ध करवा लिया गया है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 अपना पशुधन रखती है। अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर खंगारसिंह ने जीवित रहते अपनी सम्पति में से प्रार्थी मोतीसिंह को जोधपुर स्थित जायदाद प्रदान की। सेतरावा स्थित जायदाद/दुकानें अप्रार्थी संख्या 1 की सास के नाम कर दी तथा उक्त निगरानीधीन पट्टा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सास की सहमति से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करवा दिया। अतः पट्टे की अधिकारिता आज से 11 वर्ष पूर्व की है जिसकी जानकारी प्रार्थी व उसके परिजनों को शुरू से है। अतः प्रार्थी द्वारा निगरानी अत्यन्त विलम्ब से पेश की गई जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 विधवा व निसन्तान महिला है जिसे परेशान करने की नियत से तथा जायदाद से बेदखल करने की बदनियति से निगरानी पेश की है जिसे खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। निगरानी का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन यहा कि निगरानी कालबाधित

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा को चुनौती दी गई है चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा 2010 में जारी किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि ''राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियेां की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी।'' अतः पंचायत निगरानी पर मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। निगरानी का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि प्रथमतः यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम पचांयत सोमेसर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 नियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को 2222 वर्गगज का पट्टा विलेख जारी किया गया जबकि नियम 157 के अनुसार पुरानों गृहों का विनियमितिकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रूपये (ख) 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये। जिसमें अधिकतम सीमा 300 वर्गगज निर्धारित की गई है लेकिन अप्रार्थी संख्या को जारी पट्टे का क्षेत्रफल 2222 वर्गगज है। इतने बड़े भू–भाग पर अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है। द्वितीयतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2016 (4) DNJ (RAJ.) 1799 में अभिनिर्धारित किया गया है कि ''राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के तहत नियम 157 के तहत जारी पट्टे का संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा पट्टा निरस्त किया गया। नियम 157 (2) के उल्लघंन में पट्टा जारी किया गया। मौके पर निर्माण, झोपड़ी या कच्चा मकान होने के साक्ष्य नहीं होने से कलक्टर द्वारा पट्टे को सही निरस्त किया गया।'' अतः प्रथम दृष्टया मौके पर किसी प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

का कोई निर्माण नहीं है जिससे स्पष्ट है कि निगरानाधीन पट्टा विधि विरूद्ध है। परिणामस्वरूप प्रार्थी की पंचायत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 गुड्डी कंवर पत्नी जबरसिंह, निवासी ग्राम सोमेसर को जारी पट्टा विलेख संख्या 8 मिसल संख्या 189 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested